न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

सत्र परीक्षण सं0–355/2022

राज्य प्रति योगेश कुमार एवं अन्य।

अपराध सं0–389/2019
धारा–323/34, 308/34, 504, 506 भा0द0सं0
थाना हैदराबाद, जनपद खीरी।

23.08.2023

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 19ख</u>

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 19ख अन्तर्गत धारा 216 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें वर्तमान मामले में धारा 308 भा0द0स0 के अपराध से आरोपित किया गया है जबकि चोटहिल को आयी कथित चोटें साधारण और कुन्द हथियार से आनी कही गयी है। चोटे घातक नहीं है, इसलिए भा0द0स0 की धारा 308 का अपराध प्रार्थीगण पर आयत नहीं होती हैं और तद्नुसार आरोप में परिवर्तन किए जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, केवल मौखिक आपत्ति ही की गयी है। मौखिक आपत्ति में उनके द्वारा पत्रावली में संलग्न प्रपत्र ए7 व ए6 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया।

प्रपत्र ए7 चोटहिल किशोरी लाल की आघात आख्या है, जिसमें चोटहिल को दो जाहिरा चोटें आनी अंकित हैं। पहली 06 सेमी0 **X** 0.5 सेमी0 **X** मांस तक गहरा, सिर पर दाहिनी तरफ, दाहिनी भौंह से 09 सेमी0 ऊपर फटे की चोट है, जिसे जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी है। दूसरी चोट 06 सेमी0 **X** 0.8 सेमी0 पीठ पर बीच के हिस्से में C7 Vertebra से ठीक 13 सेमी0 नीचे फटे की चोट आयी है। चोट सं0–02 को सामान्य चोट कहा गया है। दोनों चोटों को कुन्दालय से कारित किया जाना कहा गया है और चोट को ताजी होना कहा गया है। यह प्रपत्र दिनांक 09.11.2019 को 12.20 पी0एम0 पर तैयार किया गया है। घटना दिनांक 09.11.2019 को सुबह 08.30 बजे की कही गयी है। प्रपत्र ए6 उक्त चोटहिल की सिर की एक्स–रे रिपोर्ट है, जिसमें कोई असामान्यता नहीं पायी गयी है।

Digitally signed by LAKSHMI KANT SHUKLA
Date: 2023.08.23 15:07:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि ऐसी चोट, जिसकी प्रकृति सामान्य हो और जो खतरनाक आयुध से कारित न की गयी हो, के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा धारा 308 भा0द0स0 को आकृष्ट होना नहीं पाया गया है। इस बिन्दु पर प्रार्थीगण की ओर से दो निर्णयज विधियों को उद्धृत किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से पहली **Ramkesh Maurya Vs. State of U.P. & Anr. 2007(1) JIC 560 (Allahabad)** जिसके प्रस्तर 04 में यह कहा गया है कि यदि चिकित्सक द्वारा चोट की एक्स–रे कराने की सलाह दी गयी है कि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि सिर की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है, या नहीं और कोई एक्स–रे रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक उपधारणा यही होगी कि चोट साधारण थी और इन्हीं तथ्यों पर अपने निर्णय के प्रस्तर 5 में कहा है कि ऐसी चोट के आधार पर धारा 308 भा0द0स0 का आरोप नहीं बनाया जा सकता और अपने निर्णय के प्रस्तर 5 व 6 में यह अवधारित कर दिया है कि ऐसी स्थिति में मामले को विचारण हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस कर दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार **Abzal Ahmad Vs. State of U.P. & Anr. 2010 (3) JIC 192 Allahabad**, जिसमें चोटहिल की चोटों का विवेचन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपनी निर्णय के प्रस्तर 6 व 7 में किया गया है। प्रस्तर 6 के अनुसार चोटहिल मतलूब ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उसे साधारण चोटें आयी थी, इसलिए उसने अपना चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया था और अपने निर्णय के प्रस्तर 7 में यह अवधारित किया कि चोटहिल मतलूब की उक्त चोटों के आधार पर धारा 308 भा0द0सं0 का मामला नहीं बनता जबकि चोटहिल शुभम की चोटें भी साधारण थी और पुनरीक्षण स्वीकार करते हुए धारा 308 भा0द0स0 के अधीन आरोप विरचित किया जाना उचित नहीं पाया गया है।

जहॉ तक वर्तमान मामले का प्रश्न है। वर्तमान मामले में प्रपत्र ए6 व ए7 के अनुसार चोटहिल की चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं हैं, बल्कि साधारण प्रकृति की हैं, जिसके लिए धारा 323/34 भा0द0स0 का अपराध ही गठित होता है, जो कि पहले से विरचित है। अतः धारा 308 भा0द0स0 में लगाया गया आरोप अनावश्यक पाते हुए निरसित किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के तर्क को उपरोक्त

निर्णय विधियों से बल प्राप्त होता है। अतः प्रार्थना पत्र 19ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 19ख अन्तर्गत धारा 216 द0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। पूर्व में विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 308/34, 504, 506 भा0द0स0 में से धारा 308/34 भा0द0स0 का आरोप निरसित किया जाता है। शेष आरोप यथावत् बने रहेंगे।

चूंकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए अन्य आरोप अन्तर्गत धारा 323/34, 504, 506 भा0द0स0 मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, कोई भी आरोप सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली सम्यक विचारण हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को अविलम्ब प्रतिप्रेषित की जाती है। तद्नुसार यह सत्र परीक्षण वाद निस्तारित किया जाता है।

(लक्ष्मी कान्त शुक्ल)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
JO Code UP 6549

दिनांक–23.08.2023